



संदर्भ: आईआरडीएआई/आरईआईएन/सीआईआर/आरआईएसएफ/4/1/2024 5 जनवरी, 2024
Ref: IRDAI/REIN/CIR/RISF/4/1/2024 5th January, 2024

परिपत्र
Circular

प्रति / To,
सभी बीमाकर्ताओं और छूट प्राप्त बीमाकर्ताओं के सीएमडी / सीईओ
The CMDs / CEOs of All Insurers and Exempted Insurers

विषय: अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण
Sub: Submission of Advance Reinsurance Programme

1. प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 जारी किये हैं जो पुनर्बीमा के स्थानन के परिचालनगत पहलुओं से संबंधित है। उपर्युक्त विनियमों के विनियम 3(ए) के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता द्वारा एक विनिर्दिष्ट सारांश फार्मेट में एक अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम 45 दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।
The Authority has issued the IRDAI (Re-Insurance) Regulations, 2018 which deal with the operational aspects of placement of reinsurance. As per the Regulation 3(A) of the above Regulations an advance reinsurance programme shall be submitted by every insurer in a specified summary format, to the Authority, at least 45 days before the commencement of the financial year.
2. बीमाकर्ताओं द्वारा सारांश अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरण के लिए फार्मेट क्रमशः साधारण बीमाकर्ताओं के लिए (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, एफआरबीएस और छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं सहित) अनुबंध क के रूप में तथा जीवन बीमाकर्ताओं और एफआरबीएस के लिए अनुबंध ख के रूप में संलग्न हैं।
The formats for submission of summary advance reinsurance programme by insurers are attached as Annexure A for General Insurers (including standalone Health Insurers, Reinsurers, FRBs and Exempted Insurers) and Annexure B for Life Insurers and FRBs respectively.
3. बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे विनिर्दिष्ट फार्मेट में सूचना प्रस्तुत करते समय अनुबंध ग में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करें।
Insurers are advised to follow the guidelines outlined in Annexure C while submitting information in the specified format.
4. प्रत्येक बीमाकर्ता का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम विनियमों के अंतर्गत उल्लिखित रूप में निर्धारित समय-सीमा के अंदर विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
The Board of every insurer shall ensure that the advance reinsurance programme is submitted to the Authority in the specified format within the stipulated timeframe as mentioned in the Regulations.

छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं के मामले में, यदि कोई बोर्ड / सीईओ / सीएफओ नहीं है, तो प्राधिकृत व्यक्ति विनिर्दिष्ट सारांश फार्मेटों में अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करेगा / करेंगे।

In case of Exempted insurers, if there is no Board / CEO / CFO, then the Authorized Person(s) shall ensure the submission of advance reinsurance programme in the specified summary formats.

5. बीमाकर्ता सारांश पुनर्बीमा कार्यक्रम में प्रस्तुत सूचना की पुष्टि करते हुए संलग्न अनुबंध घ में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे जिसपर सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किये जाएँगे।

Insurers shall submit a certificate confirming the information in the summary Reinsurance programme duly signed by CEO and CFO as per the attached Annexure D.

(शार्दुल अदमाने / Shardul Admane)

(महाप्रबंधक / General Manager)